

कार्यालय ग्राम पंचायत बगड़ी पंचायत समिति लालसोट, जिला-दौसा

क्रमांक: ग्रा.प./2026-27 / 29

दिनांक:- 19/05/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 09 (वित्तीय वर्ष 2026-27)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बगड़ी पंचायत समिति लालसोट के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म/शर्तें ऑनलाईन/कार्यालय में उपलब्ध है।

क्र. सं.	बोली का विवरण	अनुमानित लागत राशि (रूपयें में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपयें में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपयें में)	M.D RISL शुल्क (रूपयें में)	बोली प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य	15.00 लाख	0.30 लाख	500	500	19.05.26 11.00 AM to 25.05.26 6.00 PM	26.05.25 9.00 PM	27.05.25 11.00 AM

- निविदा प्रपत्र कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा से व्यक्तिशः अथवा <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर चैक की प्रति ऑनलाईन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड करनी होगी। साथ ही निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक निविदा दिनांक 26/05/26 को दोपहर 2:00 बजे तक जमा करानी होगी।
- निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज ग्राम पंचायत बगड़ी पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा के कार्यालय से व्यक्तिशः अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र शुल्क व अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक प्रशासक ग्राम पंचायत बगड़ी के नाम बनाना होगा एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डी.डी./बैंकर चैक M.D RISL, Jaipur के नाम देय होगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के डी.डी./बैंकर चैक को भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने वाले निविदादाताओं की ही तकनीकी बोली खोली जावेगी।
- तकनीकी-वाणिज्यिक/क्वालिफाईड बिड दिनांक 27/05/26 को 11:00 AM बजे कार्यालय ग्रा.पं. बगड़ी में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
- यह निविदा (कार्य अवधि 31.03.2027) तक कार्य सम्पादन के लिए है।
- किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।

उपापन संस्था

ग्राम पंचायत

प्रशासक
ग्राम पंचायत बगड़ी
पं.स. लालसोट जिला दौसा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगड़ी
पं.स. लालसोट (दौसा)

कार्यालय ग्राम पंचायत

प्रशासक
ग्राम पंचायत बगडी
पं.स. लालसोट जिला दोसा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगडी
पं.स. लालसोट (दोसा)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा सूचना संख्या
2	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु लाख (निविदा सूचना अनुसार)
5	निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु डी.डी. नं.....दिनांक
6	प्रोसेसिंग फीस का विवरण (MD RISL)	राशि रु डी.डी. नं..... दिनांक
7	अमानत राशि का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु डी.डी. नं.....दिनांक
8	फर्म का रजिस्ट्रेशन वर्ष व नम्बर	
9	फर्म का पेन न.	
10	फर्म का जीएसटी न.	
11	बैंक खाते का पूर्ण विवरण	
12	शपथ-पत्र 100 रुपये के नॉनजुडिशियल स्टाप पेपर पर	
12	फर्म के पास उपलब्ध कचरा संग्रहण वाहनों का विवरण	
13	फर्म का टर्नओवर निर्धारित प्रपत्र (गत तीन वर्षों का कार्य की लागत का 50 प्रतिशत न्यूनतम का विवरण।)	
14	फर्म का, सफाई का, कार्य अनुभव (2 वर्ष सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्था में कार्य) का विवरण	
15	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970	
16	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952	
17	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948	
18	आयकर (पैन नम्बर)	

4821
प्रशासक

ग्राम पंचायत बगड़ी
पंच लालसोट जिला दौसा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगड़ी
प.स. लालसोट (दौसा)

19 अन्य आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में पंजीकृत फर्मों को वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के प्रावधान अनुसार 0.5 प्रतिशत बोली प्रतिभूति का डी.डी./बैंकर्स चैक संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति, जिला द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..... हेतु मेरे/फर्म द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है तथा उक्त निविदा की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर निविदा दाता

प्रशिक्षक

ग्राम पंचायत बगड़ी

पं.स. लालसोट जिला दोसा

कार्यालय, ग्राम पंचायत पंचायत समिति लालसोट जिला दोसा

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत बगड़ी

पं.स. लालसोट (दोसा)

उपापन की विषय-वस्तु का विवरण

कार्य का नाम :-ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य

ग्राम पंचायत :-

ग्राम पंचायत में गावों की संख्या एवं नाम :-

पंचायत समिति :- लालसोट

ग्राम पंचायत के अधीन गावों में परिवारों की संख्या :-.....

ग्राम पंचायत के अधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या :-.....

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा / संख्या	दर (रु.)	अनुमानित मासिक लागत राशि (रु.)
1.	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	परिवारों की संख्या 0.00	राशि रु. 0.88 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	0.00
	(अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राइवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य।			
	(ब) जब वाहन, ड्राइवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. 2.63 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन की दर (कचरा पृथक्करण सहित)	
2.	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्करण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य किया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण/निपटान कार्य सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. 0.45 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
3.	सड़क/बाजार/मुख्य चौक में झाड़ू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	वर्ग मीटर	राशि रु. 0.10 प्रति वर्गमीटर	
4.अ	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	राशि रु. 57.69 प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	
4.ब	नाला सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	राशि रु. 57.69 प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	
5.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	संख्या	राशि रु. 49.08 प्रति सी.एस.सी. एक बारीय	
			कुल योग (मासिक)	
			कुल योग (वार्षिक)	

उपापन संस्था

ग्राम पंचायत

क्रमांक : ग्रा.प./2025-26/

कार्यालय, ग्राम पंचायत

प्रशासक
ग्राम पंचायत बगडी
प.स. लालसोट जिला दौसा

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत बगडी
प.स. लालसोट जिला दौसा
दिनांक:-

वित्तीय निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम :- ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य

फर्म का नाम :-

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा / संख्या	दर (रु.)	अनुमानित मासिक लागत राशि (रु.)
1.	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। (अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य।	परिवारों की संख्या	राशि रु. प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
	(ब) जब वाहन, ड्राईवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन की दर (कचरा पृथक्करण सहित)	
2.	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्करण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य किया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण/निपटान कार्य सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
3.	सड़क/बाजार/मुख्य चौक में झाड़ू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	वर्ग मीटर	राशि रु. प्रति वर्गमीटर	
4.अ	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	राशि रु. प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	
4.ब	नाला सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	राशि रु. प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	
5.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	संख्या	राशि रु. प्रति सी.एस. सी. एक बारीय	
			कुल योग (मासिक)	
			कुल योग (वार्षिक)	

मैं/मेरी फर्म/हमारी फर्म उक्तानुसार निविदा राशि से प्रतिशत (कम/ज्यादा) पर निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करना स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता

ग्राम पंचायत बगडी
पं.स. लालसोट जिला दौसा

निविदा शर्तें

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगडी
प.स. लालसोट (दौसा)

1. निविदाएं केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी। ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश—
 - (अ) इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों को <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
 - (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदा दाताओं को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको पुनः लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (द) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
 - (य) कोई भी निविदा इलैक्ट्रॉनिक फोरमेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब/लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नहीं होगा।
 - (र) निविदा के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करे।
2. यदि संवेदक/संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृत प्रमाण पत्र (Resolution, Power Of Attorney) संलग्न करें।
3. यह निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में उल्लेखित नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देशों के अधीन रहेगी।
4. एम.एस.एक्ट, 2013 की पालना एवं सुरक्षा उपायों तथा किसी प्रकार के मुआवजें का भुगतान स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
6. श्रमिक द्वारा 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर दुगुनी दर से तथा 8 घंटे से कम कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार भुगतान करना होगा।
7. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर उनके विरुद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता स्वयं के खर्च से वाद का निस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेदार होगा। विभाग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10. बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।
11. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माध्यम से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
12. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्य मशीनों के अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित कर किया जाता है तो राज्य/केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार श्रमिकों के समस्त दायित्वों (यथा EPF, ESI आदि) की पालना संवेदक द्वारा की जायेगी।
13. संवेदक को सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों को श्रम विभाग के नियमों/अधिनियमों तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अवकाश प्रदान करना होगा।
14. सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों का बीमा करवाने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
15. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
16. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
17. जिस बोलीदाता को बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यदेश जारी होने के 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा।
18. मूल्यांकन की कसौटी - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
19. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा-25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
20. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि सरपंच ग्राम पंचायत के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा कराने के पश्चात् ही कार्यदेश जारी किया जावेगा। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तिकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
21. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-
 - (अ.)बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रशासक ग्राम पंचायत के नाम पर जमा करानी होगी एवं नियमानुसार 500/-नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
 - (ब.) सफल बोली दाता द्वारा बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि में समायोजन की जा सकती है।
 - (स.)कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

22. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगा :-
- (अ) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- (ब.) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादन नहीं करता है।
- (स.) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (द.) जब सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।
- (य.) जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (र.) जब बोलीदाता कार्य/सम्पूर्ण सेवा अदायगी सन्तोषजनक आपूर्ति करने में असफल रहा हों।
- (ल) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
23. उपापन संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं करने पर गतिविधिवार/दैनिक राशि में कटौती की जा सकेगी।
24. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :-सेवादाता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिदिन - रु. 1500/- की शास्ति लगाई जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा अनुबंध राशि से ज्यादा नहीं होगी।
25. सफाई के संबंध में प्राप्त शिकायत (Online/Offline) का निस्तारण संबंधित फर्म को 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा प्रतिदिन रु. 500 का जुर्माना फर्म पर लगाया जा सकेगा।
26. सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्यों हेतु मांगे जाने पर ऐसे श्रमिक/मानव संसाधन जो परम्परागत/पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।
27. भुगतान :-सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
28. कार्य का भुगतान मासिक आधार पर निम्न बिन्दुओं की पालना अनुसार किया जायेगा:-
- (अ) सफाई कार्य की ग्राम पंचायत के दैनिक रजिस्टर में प्रविष्टी/रिपोर्ट
- (ब) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट
- (स) ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की रिपोर्ट
- (द) स्वच्छता कार्यों की ऑनलाईन पोर्टल लागू किये जाने पर, ऐप की रिपोर्ट
29. कार्य का सत्यापन किये जाने एवं भुगतान की अनुशंसा उपरांत भुगतान मासिक आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
30. स्वीकृत बोलीदाता को ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम/पोर्टल लागू किये जाने पर वाहनों में GPS स्थापित करना होगा।
31. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किये गये कार्य का लॉगबुक/रजिस्टर (ग्राम पंचायत में संधारित) में दैनिक आधार पर इन्द्राज किया जायेगा।
32. निविदादाता को कार्य करने वाले श्रमिकों का माह के प्रथम सप्ताह में मजदूरी भुगतान करना होगा तथा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना की जायेगी।

33. संवेदक/बोलीदाता द्वारा देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त (रूपांश) देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
34. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं आर.आर.सी. पर कचरे का पृथक्कीकरण, बाजार/चौक/रोड़ पर झाड़ू/सफाई एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई हेतु वाहन/श्रमिक/सफाई उपकरण आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
35. निविदा की शर्तों में स्वच्छता का कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु पी.पी.ई. किट/सुरक्षा उपकरण संवेदक द्वारा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये जायेगे।
36. ग्रामीण क्षेत्र की सफाई में होने वाले समस्त प्रकार के व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे (जैसे डंडे वाली झाड़ू, फावड़े, परात, कसिया, डस्टबिन, पुशकार्ट, हैंड ग्लब्स, मास्क, सेपटी जूते, ऑवर कोर्ट, सबल परिवहन के साधन का मैन्टीनेंस आदि)।
37. कचरे के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड/आर.आर.सी. का स्थान निविदा प्रपत्र में तय किया जायेगा। आर.आर.सी./तय स्थान से दुरी अधिक होने पर अनुपातिक रूप से भुगतान देय होगा।
38. संवेदक के पास सफाई कर्मचारियों हेतु काम में लिये जाने वाले उपकरण तथा सामान अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्थिति में होने चाहिए।
39. सामुहिक/सामाजिक/धार्मिक/शादी/मांगलिक आदि समारोह एवं हाट बाजार में उत्पन्न कचरा का निस्तारण संवेदक द्वारा किया जायेगा।
40. सड़क/सार्वजनिक स्थान पर पेड़ों के पत्ते, छोटे कंकड़ पत्थर आदि की सफाई कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। बड़े पत्थर का मलबा आदि का निस्तारण संबंधित द्वारा अलग से किया जायेगा।
41. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बाड़े/तबैले के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई संवेदक द्वारा की जायेगी।
42. राजकीय विद्यालयों के बाहर एवं कमरों के बाहर अर्थात् चारदिवारी के अन्दर के सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नहीं किया गया हो।
43. सामुदायिक स्वच्छता परिसर में निर्धारित टॉयलेट सीट/यूरिनल आदि (पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग शौचालय सीट एवं यूरिनल, वॉश-बेसिन आदि) के अतिरिक्त सीट /यूरिनल की सफाई करने पर पृथक से भुगतान देय होगा।
44. निविदा में वर्णित कार्य का समय प्रातः से बजे तक रहेगा तथा समय परिवर्तन आपसी बातचीत से सरपंच/ग्रा.वि.अ. के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
45. कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण एवं निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आर.आर.सी. पर किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सम्मिलित है। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार करना होगा।
46. कचरे का परिवहन ट्रोली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।
47. स्वच्छता कार्यों के लिए ग्रामीणों द्वारा प्राप्त शिकायत का निस्तारण ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा तथा इस संबंध में अपील अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को की जा सकती है। अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

ग्राम पंचायत बगड़ी
पं.स. लालसोट जिला दौसा

(New)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगड़ी
पं.स. लालसोट (दौसा)
करने का अधिकार Procuring Entity

48. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार Procuring Entity के पास सुरक्षित रहेगा।
49. निविदा संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र लालसोट जिला दौसा होगा।
50. निविदा में स्वच्छता गतिविधियों को प्रति माह निम्नानुसार लिया जावे।

क्र.सं.	स्वच्छता गतिविधि का नाम	कार्य-दिवस
1.	घर-घर कचरा संग्रहण	15 दिन प्रति माह
2.	सड़क सफाई कार्य	26 दिन प्रति माह में
3.	समुदायिक स्वच्छता परिसर	15 दिन प्रति माह
4.	नाली सफाई कार्य	1 दिन प्रति माह
5.	कचरा पृथक्करण कार्य	15 दिन प्रति माह

51. श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 3037-44 दिनांक 05.02.2025 के आदेशानुसार कार्य का भुगतान मासिक आसिक आधार पर निम्न बिन्दुओं की पालना अनुसार किया जाएगा-
1. सफाई कार्य की ग्राम पंचायत के दैनिक रजिस्टर में प्रविष्टि/रिपोर्ट।
 2. विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट।
 3. ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की रिपोर्ट।
 4. स्वच्छता कार्यों की ऑनलाईन पोर्टल लागू किए जाने पर ऐप की रिपोर्ट।
 5. तकनीकी अधिकारी(कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता) द्वारा सड़क एवं नाली सफाई कार्य का सत्यापन एवं समस्त 4 संधारित रजिस्ट्रो में इन्द्राज कर हस्ताक्षर करना।
 6. उक्तानुसार संधारित रजिस्टर/लॉगबुक की प्रतिलिपि प्रतिमाह विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
52. श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 2192-96 दिनांक 18.11.2024 के दिशा-निर्देशों की पालना की जाएगी जो निम्नानुसार है-
- (अ) सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्यों हेतु मांगे जाने पर ऐसे श्रमिक/मानव संसाधन जो परम्परागत कार्य करने वाले/पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।
53. श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 2197-2202 दिनांक 18.11.2024 के परिशिष्ट-अ में दिये गये बिन्दुवार दिशा-निर्देशों की पालना की जाएगी जो निम्नानुसार है-
1. स्वीकृत बोलीदाता को ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम/पोर्टल पर लागू किये जाने पर वाहनों में जी0पी0एस0 स्थापित करना होगा।
 2. निविदादाता को कार्य करने वाले श्रमिकों का माह के प्रथम सप्ताह में मजदूरी भुगतान करना होगा। तथा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना की जाएगी।
 3. सफाई के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत (ऑन-लाईन-ऑफलाईन) का निस्तारण संबंधित फर्म को 24 घंटे में अनिवार्य रूप से करना होगा। वर्तमान में साफ-सफाई सम्बन्धी शिकायत हेतु एस0बी0एम0जी ऐप के माध्यम से ऑनलाईन रूप से निस्तारण संवेदक द्वारा किया जावेगा अन्यथा प्रतिदिन रू0 500 का जुर्माना फर्म पर लगाया जा सकेगा।
 4. सामुहिक/सामाजिक/धार्मिक/शादी/मांगलिक आदि समारोह एवं हाट बाजार में उत्पन्न कचरा का निस्तारण संवेदक द्वारा किया जावेगा।
 5. सड़क/सार्वजनिक स्थान पर पेड़ों के पत्ते, छोटे कंकड़ पत्थर आदि की सफाई कार्य संवेदक द्वारा किया जावेगा।

प्रशासक

ग्राम पंचायत बगड़ी

मेरे द्वारा उपर्युक्त शर्तों को अक्षरशः पढ़ा व समझ लिया गया है एवं उक्त शर्तों को पालना करते हुए मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों पर आप द्वारा वांछित सामग्री/सेवा निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध कराने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

पता

ग्राम पंचायत बगड़ी
पं.स. लालसोट जिला दौसा

शपथ पत्र

(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीउम्र.....

निवासीतहसील.....जिला.....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. मेरी फर्म/कम्पनी का नाम है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी0 एस0 टी0 पंजीयन संख्या है।
3. मैं इस फर्म /कम्पनी का प्रोपराइटर/ अधिकृत प्रतिनिधि हूँ ।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायतशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राइवेट संस्था मे ब्लैक लिस्टेड नही है।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग मे जमा करवाये जाते है।
6. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार संलग्न किये गये वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 मे से किसी भी एक वित्तीय वर्ष मे निविदा की अनुमानित लागत का 1/3 टर्नओवर एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न जमा करवाये जाने के अधिकृत दस्तावेज हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/फर्म..... के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है ।

उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है । कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

प्रशासिक

ग्राम पंचायत बगडी
पं.स. लालसोट जिला दौसा

(TO BE ISSUED BY PRACTISING CHARTERED ACCOUNTANT ON THE LETTER HEAD)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगडी
पं.स. लालसोट (दौसा)

Date:

To
Tender Inviting Authority/Village Development Officer/ Sarpanch
Gram Panchayat -----

Dear Sir,

Sub: Certificate for participation in Tenders issued by Gram Panchayat.....

This is to certify that M/s _____ (Agency Name & Address)
are in the business of contracts execution for _____ completed years (considered upto march).
This is further certified that the above Turnover is in line with the Turnover declared by the Agency in
their Audit Report/Income Tax Returns filed under PAN No: _____

and

The above Turnover is in line with GST Returns submitted by the Agency under GSTIN No:
_____ which are verified by us.

And

This is further certified that M/s _____ (Agency Name & Address)
has filed its GSTR for the month/quarter (as applicable) for the period ending march 2025 referred as
below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	GSTR 1	Qrtly/Monthly	
2.	GSTR 3B	Monthly	
3.	GSTR 4	Qrtly	

And

This is further certified that M/s _____ (Agency Name &
Address) has filed its ITR for the preceding 03 (three) years are referred as below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	ITR fy 2023-24	Yearly	
2.	ITR fy 2024-25	Yearly	
3.	ITR fy 2025-26	Yearly	

Also we hereby certify that the above mentioned entity has 'NO OUTSTANDING STATUTORY DUES'
as on the date of signing of this certificate for the period ending as on 31 March

Place:

Date:

UDIN:

Chartered accountant
Membership No

Signature with Seal

५५३
प्रशासक
ग्राम पंचायत बगड़ी
प.स. लालसोट जिला निविदादाता द्वारा घोषणा

Prem
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगड़ी
प.स. लालसोट (दौसा)

मे/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

म.प्र.रा.
सक
ग्राम पंचायत बगडी
प.स. लालसोट जिला दौसा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगडी
प.स. लालसोट (दौसा)

कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- disclose conflict of interest, if any; and
- disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:
 - have controlling partners/ shareholders in common; or
 - receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participate as Bidder, in more than one Bid; or
 - the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date
Place

signature of bidder
name

24/8/21
प्रशासक
ग्राम पंचायत बगड़ी
पंचायत समिति लालसोटा जिला दौसा
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगड़ी
पंचायत समिति लालसोटा (दौसा)

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have , my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding Document, which materially affects fair competition;

Date
place
designation
Address

signature of bidder
name

प्रशिक्षक
ग्रामपंचायत बन्दी
प.स. लालसोट जिला दौसा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगड़ी
प.स. लालसोट (दौसा)

कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा

Annexure C: Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is
The designation and address of the Second Appellate Authority is

1 Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provision of the Act of the rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceeding: Provided further that in case a procuring Entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, An appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under par (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3 If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2) or if the bidder or prospective bidder of the procuring entity, is aggrieved by the order passed by the first appellate authority the bidder or prospective bidder or the procuring entity as the case may be may file a second appeal to second Appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters namely:-

- (a) determination of need of procurement
- (b) provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiation
- (d) cancellation of procurement process
- (e) applicability of the provisions of confidentiality

5 form of appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first appellate Authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filling appeal

- (a) Free for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in india payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority as the case may be, shall
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub clause (c) above shall also be placed on the state public procurement Portal.

म ५२७
प्रशासक
ग्राम पंचायत बगड़ी
पं.स. लालसोट जिला दौसा

Ramll
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बगड़ी
पं.स. लालसोट (दौसा)

FORM No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal No.....of.....Before the..... (First /second Appellate Autherty)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. name and address of the respondent

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. if the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

Date

Place

Designation

Address

signature of bidder

name

G-Schedule
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
PANCHAYAT SAMITI LALSOT

घर-घर कचरा संग्रहण एवं सफाई कार्य
बगडी

1 Name Of Work:-

2 G.P. Name :-

3 A.S. No. and Amount :-

4 T.S. No. and Amount :-

5 F.S. No. and Amount :-

6 Estimated cost :-

1432506

7 Scheme:-

FFC

		Based On स्थायी आदेश संख्या 01/2024 दिनांक 03.09.2024			
क्र.सं.	विशेष विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	1A				
	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। (अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय च्वस्स संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य।	0	प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	0.88	0.00
2	1B				
	(ब) जब वाहन, ड्राईवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है।	171360.00	प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	2.63	450676.80
3	2				
	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्करण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्यकिया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण/निपटान कार्य सम्मिलित है।	171360.00	प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	0.45	77112.00
4	3				
	सड़क/बाजार/मुख्य चौक में झाड़ू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण क साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	6591000.00	व.मी.	0.10	659100.00
5	4 अ				
	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	2025.00	घ.मी.	57.69	116822.25

ब	नाला सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	1620.00	घ.मी.	57.69	93457.80
7 5	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	720.00	प्रति सी.एस. सी.	49.08	35337.60
	(i) Total				1432506
	sub item				

Rate -----% Above /-----%Below

AT PAR


RATE IN FIGURE-----

RATE IN WORDS-----

SIGNATURE OF CONTRACTOR

Panchayat Samiti Lalsot


A.En.


A.En.

कार्यालय पंचायत समिति लालसोट
TECHNICAL ESTIMATE

कार्य का नाम घर-घर कचरा संग्रहण एवं सफाई कार्य
ग्राम पंचायत बगडी
योजना का नाम पन्द्रहवा वित्त आयोग ग्राम पंचायत स्तर

Estimate & abstack

							Based On स्थायी आदेश संख्या 01/2024 दिनांक 03.09.2024				
क्र.सं.	BSR Ref.	विशेष विवरण					मात्रा	इकाई	कुल	श्रमिक राशि	कुल
		सं.	ल.	चौ.	ऊं/ग.						
1	1अ	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।									
						0.00	प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	0.88		0.00	
2	1ब	(ब) जब वाहन, ड्राईवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है।									
		Bagri	12	15	952	171360.00					
						171360.00					
						171360.00	प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	2.63		450676.80	
3	2	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्करण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्यकिया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण/निपटान कार्य सम्मिलित है।					171360.00	प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	0.45	77112.00	
4	3	सड़क/बाजार/मुख्य चौक में झाड़ू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण क साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।									

		bagri	12	26	6500	3.25	6591000.00					
							6591000.00	व.मी.	0.10			659100.00
5	4 अ	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।										
		bagri	12	5000	0.23	0.15	2025.00					
							2025.00	घ.मी.	57.69			116822.25
6	4 ब	नाला सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।										
		bagri	12	1500	0.60	0.15	1620.00					
							1620.00	घ.मी.	57.69			93457.80
7	5	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।										
			4	12.00	15.00		720.00	प्रति दिन	49.08			35337.60
												1432506

4957
Jen

Ray